पंचायतों में महिला सहभागिता का प्रभाव

डॉ0 शारदा कुमारी*

किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब वहां की महिलाएं विकसित हों। महात्मा गांधी ने कहा था कि "अगर घर के किसी कोने में गड़ा खजाना अचानक मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। महिला शक्ति सुस्त पड़ी है, अगर भारत की महिलाएं जाग जाएं तो वे इसी प्रकार विश्व को चकाचौंध कर देंगी।" इस क्रम में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने कहा था कि "समाज में स्त्री का बड़ा महत्व है, जिस घर–परिवार में स्त्री शिक्षित–प्रशिक्षित हो, उनके बच्चे सदा ही उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं। वह सुंदर परिवार की निर्मात्री है, जब तक हमारे आंदोलनों में महिलाएं भी भरपूर हिस्सा नहीं लेंगी, तब तक हमारा आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता।"

ग्राम विकास में महिला नेतृत्व एवं सशक्तिकरण का अभिप्राय महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनैतिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उनके परिवार समुदाय, समाज एवं राष्ट्र की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है।

महिलाओं में इस प्रकार की क्षमता का विकास जिसमें वे अपने जीवन का निर्वाह इच्छानुसार कर सकने में सक्षम हो एवं उनके अंदर आत्मविश्वास और स्वाभिमान को जागृत करना है।

पंचायती राज के माध्यम से लाखों स्त्रियों का जो लोकतांत्रिक प्रशिक्षण हो रहा है वह अंततः हमारी समग्र राजनीति के चरित्र को प्रभावित कर रहा है। पंचायती राज में महिलाओं का दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। आज देश में 2.5 लाख पंचायतों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुन कर आ रहे हैं। इनमें से 14 लाख (45. 15 प्रतिशत) से भी अधिक महिलाएं चुन कर आई हैं। यह आंकड़ा यह बताने के लिए प्रर्याप्त है कि किस तरह से महिलाएं राजनीतिक कार्यों में सहभागिता कर रही हैं। महिलाओं की गांव के कामों में बढ़ती भागीदारी न केवल महिलाओं के खुद के स्वाभिमान के लिए सकारात्मक संकेत है बल्कि इससे हिन्दुस्तान के गांवों में फैली सामाजिक असमानता भी दूर होगी। खासतौर से लिंग के आधार पर किए जाने वाली गैर–बराबरी अब संभव नहीं रह गई है। महिलाओं का बढ़ता कद उन्हें घर और बाहर की दुनिया में स्वतंत्र होकर जीने में सहयोग प्रदान कर रहा है। दहेज के नाम पर महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न हो अथवा घरेलू हिंसा–इन तमाम सामाजिक कुरीतियों से आज की महिला लड़ने में सशक्त हो चुकी है।

***पी–एच0 डी0 राजनीति विज्ञान विभाग बी0 एन0 एम0 यू0, मधेपुरा**

प्रत्येक महिला एवं वयस्क लड़की को चुनाव की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भागीदारी करने और स्वविवेक के आधार पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी संविधान–सम्मत योग्यता रखने पर किसी भी तरह के चुनाव में उम्मीदवारी कर सकती है।

पंचायती राज में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था से महिलाएं राजनैतिक रूप से भी सशक्त हुई हैं और उनकी निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हुआ है। पंचायती राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जोकि अब 42 प्रतिशत से अधिक हो गई है। महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने वाला अग्रणी (सर्वप्रथम) राज्य बिहार है, आज की स्थिति में 15 प्रमुख और बड़े राज्यों में यह विधेयक पास किए गए है। महिला साक्षरता 65 प्रतिशत हो गई है और उनमें जागरूकता भी बढ़ी है। अब कैबिनेट ने 110 संविधान संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्था में आरक्षण 50 प्रतिशत कर दिया जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन के साथ ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी।

संविधान संशोधन का मसौदा पंचायतों को नौवीं अनुसूची में रखने के लिए तैयार किया गया। निष्कर्ष के रूप में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा सदस्यों और अध्यक्षों के एक–तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित करके उनको स्थानीय शासन में सक्रिय भागीदारी प्राप्त हुई है। इस प्रावधान के कारण महिलाओं की क्षमता उजागर हुई है, जो भविष्य में भारत की राजनीति को एक नया मोड़ दे सकती है।

पंचायती राज में महिला सहभागिता का क्षेत्रीय नेतृत्व उस क्षेत्र में स्त्रियों की दशा का दर्पण है। उस क्षेत्र का सामाजिक–पारिवारिक परिवेश तथा परिस्थितियों से महिला नेतृत्व की स्थिति स्पष्ट होती है। महिलाओं में साक्षरता की दर बढ़ रही है। गांवों में भी बालिका शिक्षा का चलन हो रहा है। महिलाएं अब अल्प एवं छोटे परिवार की आदी हो रही है। घूँघट उनकी परंपरा है पर अब इससे भी महिलाएं उबर रही है। अब महिलाएं भूण हत्या को रोकने में सजग हैं। बाल मृत्यु दर भी कम हो रहा है। ग्रामीण नेतृत्व की श्रेणी में 30–45 वर्ष की महिलाएं ज्यादातर निर्वाचित होकर काम कर रही है। अब वे अपनी शैक्षणिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में सोच रही है। महिलाओं में राजनीतिक जागृति और प्रशासनिक क्षमताओं का विकास होने लगा है।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली की कुछ कमियां भी है जिन्हें दूर करना बेहद जरूरी है। इन संस्थाओं की सफलता पंचायत प्रतिनिधि एवं विकास अधिकारियों की जागृति, ईमानदारी, कुशलता, विवेक मंशा और सरकारी अनुदान पर निर्भर है, जबकि प्रणाली वह अच्छी मानी जाती है. जिसमें व्यक्ति कैसा भी हो

प्रणाली उसे ईमानदारी कुशलता, अच्छी मंशा. सदविवेक, सक्षमता व स्वावलंबन के साथ कार्य करने को बाध्य करती हो।

वर्तमान में पंचायती राज गांवों को प्रशासनिक एवं क्रियान्वयन इकाई बनाने पर जोर दे रहा है. जबकि गांव मूल रूप से एक सांस्कृतिक इकाई हैं। ऐसे में गांवों ने शहरों की बुराईयां तो अपना ली है. लेकिन अपनी अच्छाइयों की रक्षा करने में अब वह असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। विकास की दौड़ में हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए और न ही अपनी सांस्कृतिक विरासत को। पंचायतों के माध्यम से इस कार्य को अंजाम देने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार की आदर्श ग्राम योजना इसको बेहतरीन अंजाम देने में सक्षम हो सकती है। अपितु ग्रामीण विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा भारतीय ग्रामीण संस्थागत परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है।

पंचायतों में महिला आरक्षण के लागू होते ही महिलाएं पंचायतों में चुनकर आई थी, लेकिन पंचायत के काम उनके रिश्तेदार संभालते थे। महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण के सारे सपने ध्वस्त से होते प्रतीत हुए थे लेकिन धीरे–धीरे स्थिति बदली और अब पंचायतों के लिए चुनी जाने वाली महिलाएं अपने पुरुष रिश्तेदारों के हाथ की कठपुतलियां मात्र नहीं रह गई है, अब वे आगे बढकर फैसले ले रही हैं और महिला सशक्तिकरण के स्वप्न को साकार कर रही है। आज राजनैतिक रूप से जागरूक महिलाएं पंचायतों के चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतकर स्वतंत्र रूप से फैसले ले रही है। पंचायतों में अब जो महिलाएं चुनकर आ रही है, उनमें से ज्यादातर युवा एवं पढ़ी–लिखी है। वे यह भ्रम तोड़ रही है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की राजनैतिक कार्यक्षमता कम होती है।

राजनीतिक चुनौतियों का यह विश्लेषण बताता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं को वांछित भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिकाओं में उनकी संख्या नगण्य है। राज्य पंचायती राज अधिनियमों में अनेक कमियां है जो पंचायतों को स्वायत्तशासी संस्था बनाने में बाधा डालती है। पंचायत चुनाव में चुनाव से पहले चुनाव के दौरान एवं बाद में हिंसा जात–पात, गुटबाजी का वातावरण महिलाओं को निरुत्साहित करता है। इसका मुख्य कारण राजनैतिक है। पंचायती राज संस्थाओं में 50 फीसदी महिला आरक्षण की व्यवस्था से महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास जागा है और इससे समाज में क्रांतिकारी बदलाव और सुधार आ रहा है। केंद्र व राज्य स्तर पर अनेक प्रयास पंचायतों को सशक्त करने के लिए किए गए हैं। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण मनरेगा क्योंकि इस अधिनियम को लागू करने के लिए पंचायतें मुख्य संस्थाएं है। यही नहीं, 50 अरब की लागत के प्रोजेक्ट ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किए जाएंगे। अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी ७ प्रतिशत से

बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की पहल महिलाओं के सशक्त करने की प्रक्रिया और मजबूत करेगी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट से हुई थी। अगर महिलाएं स्वयं चुनकर नहीं आती हैं तो दो महिलाओं को पंचायतों का सदस्य बना दिया जाए. इसका अर्थ यह हुआ कि महिलाओं को इस योग्य नहीं समझा गया कि वे पंचायत के कार्यों को कर सकेंगी। यह वास्तव में पुरुषवादी सोच का ही परिणाम है कि महिलाओं को लालन–पालन के अलावा और किसी योग्य नहीं समझा जाता। अशोक मेहता समिति की रिपार्ट ने भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किए। इस समिति ने संविधान में संशोधन के लिए महिलाओं के लिए मसौदा तो तैयार किया गया था लेकिन उसमें महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। बाद में कुछ राज्य जैसे–कर्नाटक, केरल एवं पश्चिम बंगाल ने राज्य स्तर पर राजनीतिक इच्छा दिखाकर पंचायतों में महिलाओं की भागदारी सुनिश्चित की जिसके ग्रामीण विकास व महिलाओं की मुर्खता पर अच्छे प्रभाव पड़े। अस्सी के दशक में यह बात साफतौर पर सामने आई कि बिना महिलाओं की भागदारी के संपूर्ण ग्रामीण विकास संभव नहीं है।

महिला परिप्रेक्ष्य योजना (1088–2000) में सिफारिश की गई कि महिलाओं के लिए पंचायतों में 30 प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। इस योजना की सिफारिशों व विभिन्न महिला मंचों, संस्थाओं और इस क्षेत्र में कार्यरत बुद्धिजीवियों के प्रयासों से महिलाओं को सदस्य व अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रावधान में महिलाओं की दबी जमीरों को उजागर किया है, जो निकट भविष्य में भारतीय राजनीति को नया मोड़ दे सकेगी।

पंचायत चुनाव से पहले भ्राँतियाँ पैदा की जा रही थी चुनाव लड़ने के लिए कहां से आएंगी महिलाएं। लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जब चुनाव संपन्न हुए तो पाया कि कुछ राज्यों, जैसे – कर्नाटक, पश्चिम बंगाल केरल में महिलाओं की संख्या अधिकतम सीमा को भी पार कर गई है। वैसे पंचायतों में महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही है, लेकिन प्रभावी भूमिका निभाने के लिए उनके सामने अनेक सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक व प्रशासनिक सीमाएं रोड़ा अटका रही हैं। सामाजिक सीमाओं ने उन्हें कमजोर व असहाय बना दिया है। पर समाज का परिवेश उन्हें अनुमति नहीं देता कि वे खुलकर पंचायतों में हिस्सा ले सकें। उनकी अशिक्षा। स्वास्थय संबंधी समस्याओं में और मुश्किल खड़ी की हैं। गरीबी भी महिलाओं के लिए कम महतवपूर्ण समस्या नहीं है। परिवार यदि गरीब है तो सबसे ज्यादा बोझ महिलाएं ही उठाती हैं। महिला पंचायत प्रतिनिधियों के विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे

रह रहा है। महिलाओं की आर्थिक रूप से बिगड़ती स्थिति पर एक प्रहार नई आर्थिक नीति ने किया।

राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत निर्णय लेने की प्रक्रिया में माहिलाओं की बहुत भागीदारी नहीं है। विधायिका के अलावा न्यायपालिका में भी इनकी संख्या नगण्य है। महिलाओं की नौकरशाही में भागीदारी भी नहीं के बराबर है। महिला पंचायत प्रतिनिधियों को पंचायत व गैर–पंचायत कार्यालयों में पुरुष ही नजर आते हैं जिसके कारण दे अपनी बातें उनसे खुलकर नहीं कह पाती। इसका प्रभाव उनके कार्य–संपादन पर पड़ता है।

पंचायतों में महिलाओं के अधिकारों, शक्तियों व उत्तरदायित्वों के बारे में पंचायत की कार्यवाही करने के लिए विभिन्न नियमों एवं कानूनों के बारे में वित्तीय वगैर–वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के बारे में तथा विकेंद्रीकरण योजना तैयार करने के बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाएं महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है. जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की सोच समझ का विस्तार हुआ है और वे पंचायतों में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा रही हैं, महिलाएं भले ही अशिक्षित है और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर भी उन्होंने ग्रामीण समाज में नए उदाहरण प्रस्तुत किए है। महिलाओं की शक्ति संपन्नता की राष्ट्रीय नीति, जो 1996 में बनाई गई थी. महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के निवारण का इलाज है। आने वाले समय में महिलाओं के स्वयं के प्रभाव से और महिलाओं के विकास में कार्यरत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों व बुद्धिजीवियों के सहयोग से उनके उद्देश्य कार्यात्मक रूप ले पाएंगे।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव 1992 के बाद देखने को मिला, 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई। इस कानून से ग्रामीण महिलाओं को पहली बार महसूस हुआ कि सत्ता में भी भागीदार हो सकती है। बिहार भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का एक ऐसा प्रांत (राज्य) बन गया है जहां पंचायती राज तथा शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2006 में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ ही निरक्षरता दर सबसे अधिक सघन घनी आबादी और कुल प्रजनन दर अधिकतम वाले गंभीर समस्याग्रस्त बिहार जैसे राज्य में 2500 पंचायतों में 45000 से भी अधिक महिलाएं चुनाव जीती है, जो कि एक अनुपम उदाहरण है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक क्षेत्र भी पूरी तरह से बदल कर रख दी है और राजनैतिक रूप से हाशिये पर पड़ी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है।

अतः भारतवर्ष में पंचायती राज व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप ने एक लंबा समय तय किया है। प्राचीन इतिहास के अवलोकन से पता चलता है कि वैदिककाल में भी पंचायतों का अस्तित्व देखने को मिलता था। बौद्धकाल में ग्राम परिषद् भी। इन परिषदों का कार्य ग्राम भूमि कर, लगान की व्यवस्था, शान्ति एवं सुरक्षा स्थापित करना था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ग्रामीण लोग पंचायतों में रूचि लिया करते थे। चाणक्य ग्राम को प्रथम राजनीतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। सन 1947 में भारत के आजाद होने के बाद पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास की दिशा में उल्लेखनीय कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य को नीति–निर्देशक तत्वों से संबंधित आयाम के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्ति व अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। व्यावहारिक रूप में पंचायती शब्द का अस्तित्व आजाद भारत में श्री बलवन्त राय महता के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के प्रतिवेदन से उदय हुआ और जो अनवरत अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम ग्रामीण भारत में धीरे–धीरे देखने को मिल रहा है।

महिलाओं की राजनैतिक क्रियाशीलता हेतु पारिवारिक सदस्यों का सामंजस्य भी अति आवश्यक है। पति–पत्नी ही नहीं अपितु परिवार के अन्य सभी सदस्यों को एक–दूसरे की प्रतिभा, योग्यता, दक्षता और कौशल को पहचानते हुए आपसी सौहार्द की भावना से उनकी निहित शक्तियों के प्रकटीकरण एवं उपयोग के अवसर प्रदान करते हुए प्रत्येक स्तर पर उदार, प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाकर यथासंभव उन्नति के पथ पर अग्रसर कराने का प्रयास करना चाहिए। फलतः महिला सशक्तिकरण के बहुआयाम महिलाओं के सम्पूर्ण व्यक्तित्व व सर्वांगीण विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी अपेक्षाएं हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. राजकुमार (2003) भारतीय नारी सामाजिक अध्ययन – अर्जून पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
2. सिंह अनिल – भारत में महिलाओं की स्थिति कल और आज – केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली, 2013
3. संध्या शुक्ला – प्रगति के पथ पर अग्रसर नारी – अंक 8 मार्च 2006 केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड – दिल्ली
4. चंद्रकला पांडेया – धर्मशास्त्र और स्त्री विमर्श – काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी